न्यायालय बईजलास रागिनी डामोर आर.एस.एस उपखंड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
दावा संख्या :– 19/2014

मेघराज पिता नानालाल जी ब्राम्हण निवासी उत्थैनकलॉ बनाम सुरेश पिता पृथ्वीराज बलाई निवासी उत्थैनकलॉ व अन्य

दावा अ0धा0 188 आर.टी.एक्ट

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 जा.दी.

30.10.2017– दावा पत्रावली में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि :–

1. यह कि प्रकरण मे पट्टा वर्णित बाड़ा वादी को धारा 98 राज0ले0 रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत दिया गया है।
2. यह कि धारा 188 राज0टी0एक्ट के अन्तर्गत वाद केवल टीनेन्ट ही प्रस्तुत कर सकता है । हस्तगत प्रकरण में वादी न तो आराजी नं0 490 का टीनेन्ट है ना ही धारा 98 राज0ले0एक्ट के तहत दिया गया बाडा कृषि भूमि है । इस प्रकार वादी का वाद पत्र विधि वर्जित है एवं क्षैत्राधिकार के बाहर का भी है।
3. यह कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 पोषणीय नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण भी उत्पन्न नहीं होता है इसलिए इसी स्टेज पर खारीज होने योग्य है ।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी के वाद को मय हर्जे खर्चेट के इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे एवं वादी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में जो प्रतिवादीगण से बिना सूचना के कब्जा दिला दिया गया उस पर प्रतिवादीगण को पुनः कब्जा स्थापित करिने का आदेश फरमाया जावें । साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत है ।

पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता वादी को दी गई , अधिवक्ता वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब प्रार्थना पत्र वादी का न्यायालय द्वारा बन्द किया गया ,पत्रावली में प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. पर सुनी गई । अधिवक्ता प्रतिवादी प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है, धारा 188 आर.टी.एक्ट में वाद केवल उक्त उसकी खातेदारी की भूमि के लिए ही न्यायालय में लाया जा सकता है । वादी द्वारा जिस आराजी के लिएयह दावा प्रस्तुत किया गया है उस आराजी का वादी खातेदार काश्तकार नहीं है । वादी को यह वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । वादी द्वारा यह वाद मौजा उत्थैनकला प0ह0 रायता की आराजी संख्या 490 के लिए प्रस्तुत किया है उक्त आराजी वादी को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 98 के तहत 5 बिस्वा भूमि बाडे के रूप में तहसीलदार बेगूँ द्वारा आवंटित की गई है, जिसका वादी खातेदार कृषक नहीं है , राजस्थान काश्तकारी के लिए श्रीमान के न्यायालय में कृषि योग्य भूमि के लिए ही वाद प्रस्तुत किया जाता है, वादी को बाडा आवंटित भूमि कृषि भूमि नहीं है ना ही वादी उक्त आराजी का खातेदार कृषक है, वादी द्वारा यह वाद विधि वर्जित एवं क्षैत्राधिकार से बाहर प्रस्तुत किया गया है । अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ओर्डर 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया जावें । प्रतिवादी प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के साथ न्यायिक दृष्टान्त के लिए आर आर डी 1998 पेज 523 की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

बहस प्रार्थी प्रतिवादी की पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादी अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत है , वादी के वाद पत्र का प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए केवल वाद की सुनवाई को लम्बित किए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया , वादी मौजा उत्थैनकलॉ की आराजी संख्या 490 का काश्तकार है उक्त आराजी संख्या 490 जो कि एक बाडा है वह वादी की कृषि आराजी से लगता हुआ बाडा है जिसमेंवादी अपने कृषि औजार एवं गाय बैल आदि कृषि सम्बन्धी सामग्री फसल आदि एकत्रित करके रखता है , कृषि भूमि से लगे हुए बाडे की रक्षा हेतु दादी को यह वाद लाने का अधिकार है। वादी उक्त भूमि के लिए वाद लाने का अधिकार है या नहीं इसके लिए प्रतिवादीगण के जवाब दावे के पश्चात तनकी कायम की जाकर उस पर यह निर्णय किया जाना ही न्याय निर्णय का सही निश्चयन होगा । वादी को यह भूमि राजस्व अधिकारी द्वारा ही आवंटित की गई है जिसकी रक्षा के लिए वादी इस न्यायालय में नहीं आयेगा तो किस न्यायालय में जायेगा । वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के वक्त न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. एस.सी. 2014 पेज 224 से 229, डी.एन.जे. 2014 पेज 1461से 63 व डी.एन.जे. 2009 पेज 230 से 233 व पेज 410 से 413 एवं डी.एन.जे. 2009 पेज 332 से 337 तक की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की गई । वादी अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान इन न्यायिक दृष्टान्त पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में दोनो ही पक्षो को सुना जाकर जवाब लिये जाकर व उन पर तनकी कायम करते हुए एवीडेन्स आदि की प्रकिया को पूर्ण किया जाने के पश्चात ही किसी दावे के निर्णय को किया जाना न्यायसंगत होता है । बहस प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करते हुए पुनः कहा कि जो रूलिंग वादी अधिवक्ता

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

द्वारा प्रस्तुत की गई है वह इस वाद पत्र पर चस्पा एक भी नहीं होती है क्यो कि वादी की उक्त भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ,मेरा निवेदन केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के लिए वाद लाने के अधिकार के सम्ब्ध में है उक्त धारा में केवल काश्तकार कृषि भूमि के लिए ही वाद ला सकता है , वादी वर्णित भूमि का खातेदार नहीं है जो बाडा इन्हें तहसीलदार बेगूँ द्वारा दिया गया है वह पट्टे में लिखी गई शर्तो के अनुसार दिया गया जिसका इनको खातेदार कृषक नहीं बताया है । पट्टे का अवलोकन करें एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादी का वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावें ।

हमने उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र ओर्डर 7 नियम 11 जा.दी. पर ध्यान पूर्वक सुनी तथा पत्रावली में वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का गहन अवलोकन किया । पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया जान पर पाया कि वादी द्वारा उक्त वाद मौजा उत्थैनकलॉ प0ह0 रायती की आराजी संख्या 490 रकबा 05 बिस्वा भूमि जो कि वादी को वर्ष 1987 में धारा 98 के तहत बाडे रूप में तहसीलदार बेगूँ द्वारा आवंटित की गई थी वह भूमि वादी की कृषि भूमि नहीं है केवल मवेशी बांधने व घास आदि रखे जाने के लिए वह बाडा वादी को आवंटित किया गया है । बाडे का निम्न शर्तो पर आवंटित किया गया है,जो पट्टे में अंकित की गइ है । प्रतिवादी अधिवक्ता का यह कथन कि धारा 188 आर.टी.एक्ट के लिए वाद पत्र के वल खातेदार कृषक ही न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है । वादी उक्त बाडा आवंटित भूमि का खातेदार कृषक नहीं है ,जिसके लिए धारा 188 आर.टी.एक्ट में वादी का वाद लाये जाने का अधिकार नहीं है । हालॉकि पत्रावली में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि यह सिद्ध करता हो कि यह बाडा प्रतिवादीगण का ही हो । किन्तु जहॉ तक न्यायिक प्रश्न है,उसके लिए अधिवक्ता प्रतिवादी की बहस से हम पूर्णतया सहमत है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है । वादी का वाद पत्र एतद् द्वारा वादी वाद वर्णित भूमि का खातेदार कृषक नहीं होने से वाद पत्र खारिज किया जाता है ।

आदेश दिनांक 30.10.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(रागिनी डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ